

उत्तर रेलवे

सूचना

श्री राम नाथ मेहता पुत्र श्री बिलाल मेहता, सिग्नल खलासी को केस नं. 570- सिग/पी एस/सी/राम नाथ मेहता/डी एंड ए.आर. जिसको रेलवे अनुशासन और अपील के नियम 9 के अंतर्गत दी गई है। हस्ताक्षरित अनुशासनत्मक अधिकारी है।

आपको एस.एफ. संख्या 5 कर्तव्यों से अनुपस्थित के संबंध में दिनांक 09.01.2015 को जारी किया गया है। आपको तीन बार निर्देश दिया गया था कि आप ऊपर दिए गए पता उल्लिखित तिथि 30.07.2020, 04.08.2020 तथा 24.09.2020 को इस अनुशासन और अपील नियम की कारवाई को पूर्ण करने और अपना केस रखने का तीन बार मौका दिया था परन्तु आप मौजूद नहीं थे।

इसलिये श्री राम नाथ मेहता पुत्र श्री बिलाल मेहता को इस सूचना द्वारा अनुशासन और अपील नियम की कारवाई को पूर्ण करने और अपना केस रखने का एक अंतिम मौका दिनांक 20.12.2020 दिया जाता है अन्यथा उपरोक्त अनुशासन और अपील नियम की कार्यवाही करके का एक तरफा फैसला लिया जायेगा।

श्री राम नाथ मेहता
श्री बिलाल मेहता के पुत्र
ग्राम डाकघर-बैरिया, पी.एस.-माली,
जिला-औरंगाबाद, बिहार-824303

अधि. संकेत एवं दूर संचार अभि./पी.एस./निर्माण
कृते उप मुं. सं. एवं दूर. सं. अभि./पी.एस./निर्माण
डी.र.म. कार्यालय, नई दिल्ली
2760/2020